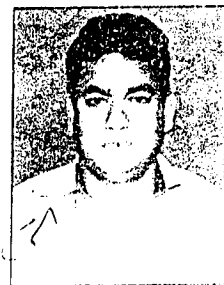




UTTAR PRADESH

973887



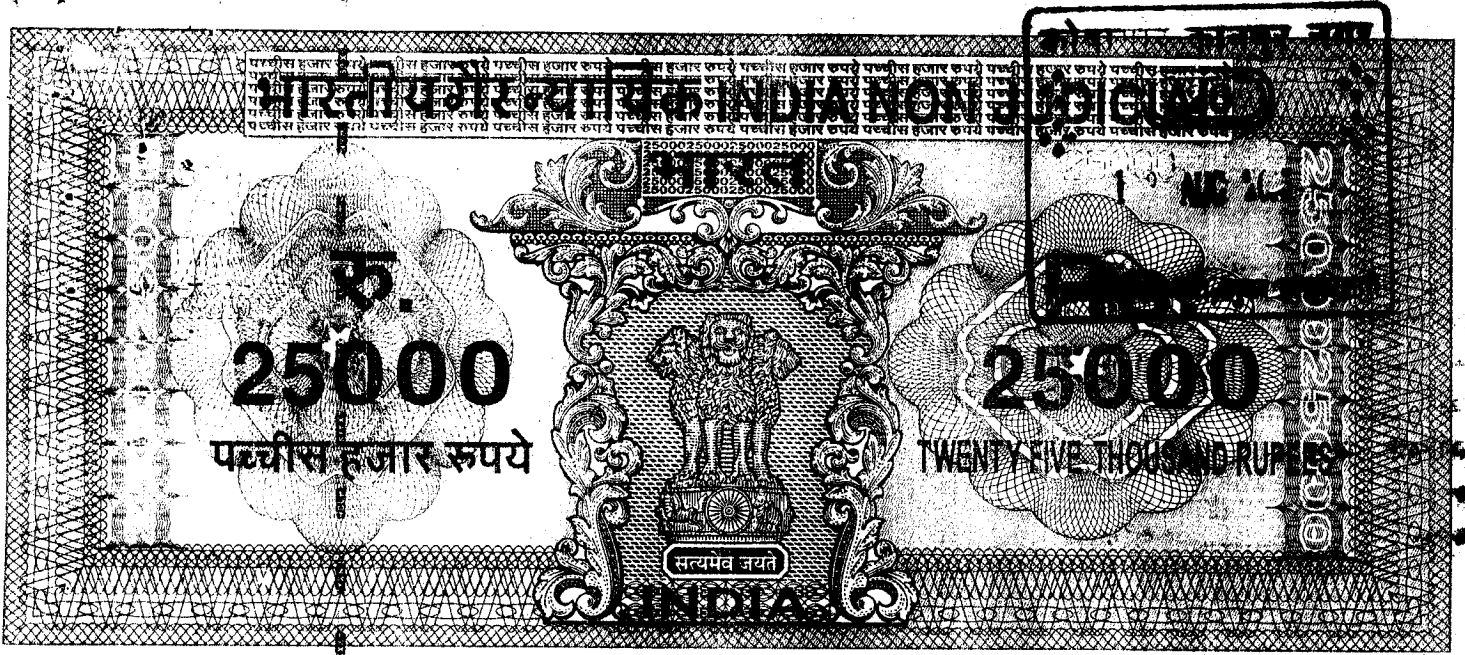
कार्यालय का नाम : उपनिबन्धक जोन-1, कानपुर नगर

- 1 प्रस्तुत दिनांक : 19-08-2015
- 2 निष्पादन दिनांक : 19-08-2015
- 3 प्रस्तुतकर्ता का नाम व पता : निशान्त अग्रवाल पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल निवासी मकान नम्बर-128/165, एच-ब्लॉक, किदवई नगर, कानपुर नगर।

Dilhak

[Handwritten signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 973888

(2)

- | | | |
|---|-----------------------|---|
| 4 | लेखपत्र का प्रकार | : विक्रय पत्र |
| 5 | प्रतिफल | : 33,85,000 /—रुपया |
| 6 | बाजारी मूल्य | : 33,82,000 /—रुपया |
| 7 | विक्रेता का नाम व पता | : निशान्त अग्रवाल पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद
अग्रवाल निवासी मकान नम्बर—
128 / 165, एच—ब्लाक, किदवई नगर,
कानपुर नगर। |

पैन—AFLPA3678L



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 973889

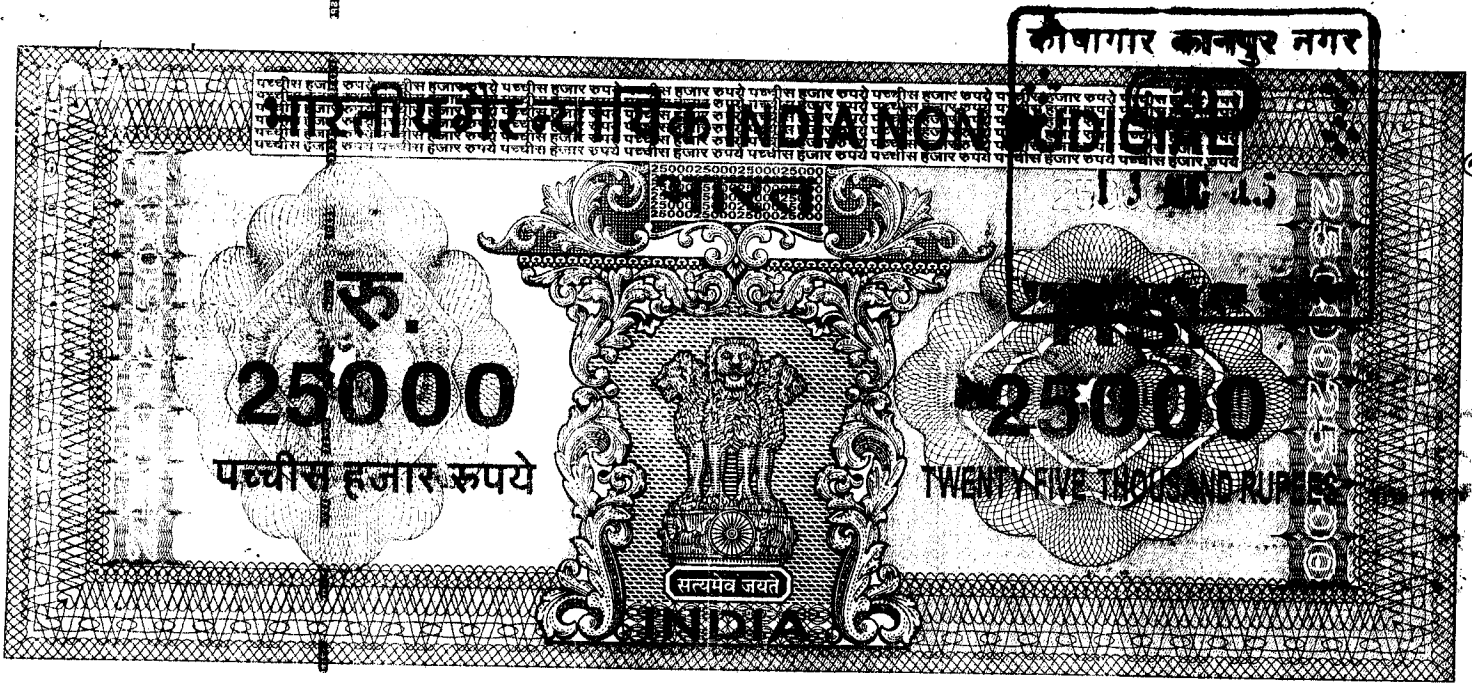
E 973889

(3)

8 क्रेता का नाम व पता : साइन सिटी प्रापर्टीज प्रा० लि०
स्थित-1/5 चतुर्थतल, आर स्क्वायर
काम्पलेक्स, विपुल खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ द्वारा निदेशक आसिफ नसीम
पुत्र नसीम अहमद।
पैन-AATCS8481M

9 विक्रीत सम्पत्ति का विवरण

1 स्थान : राजस्व ग्राम पुरवामीर, परगना व
तहसील व जिला कानपुर नगर।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 973890

(4)

2 आराजी संख्या

: आराजी संख्या— 790मि० क्षेत्रफल 0.7380 हेक्टेयर, आराजी संख्या—796 क्षेत्रफल 0.1330 हेक्टेयर, आराजी संख्या—797 क्षेत्रफल 0.4100 हेक्टेयर, आराजी संख्या— 826मि० क्षेत्रफल 0.4100 हेक्टेयर, कुल 4 किता, कुल क्षेत्रफल 1.6910 हेक्टेयर का 1/2 भाग क्षेत्रफल 0.8455 हेक्टेयर स्थित राजस्व ग्राम पुरवाभीर, परगना व तहसील व जिला कानपुर नगर। (विक्रेता का सम्पूर्ण अंश)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

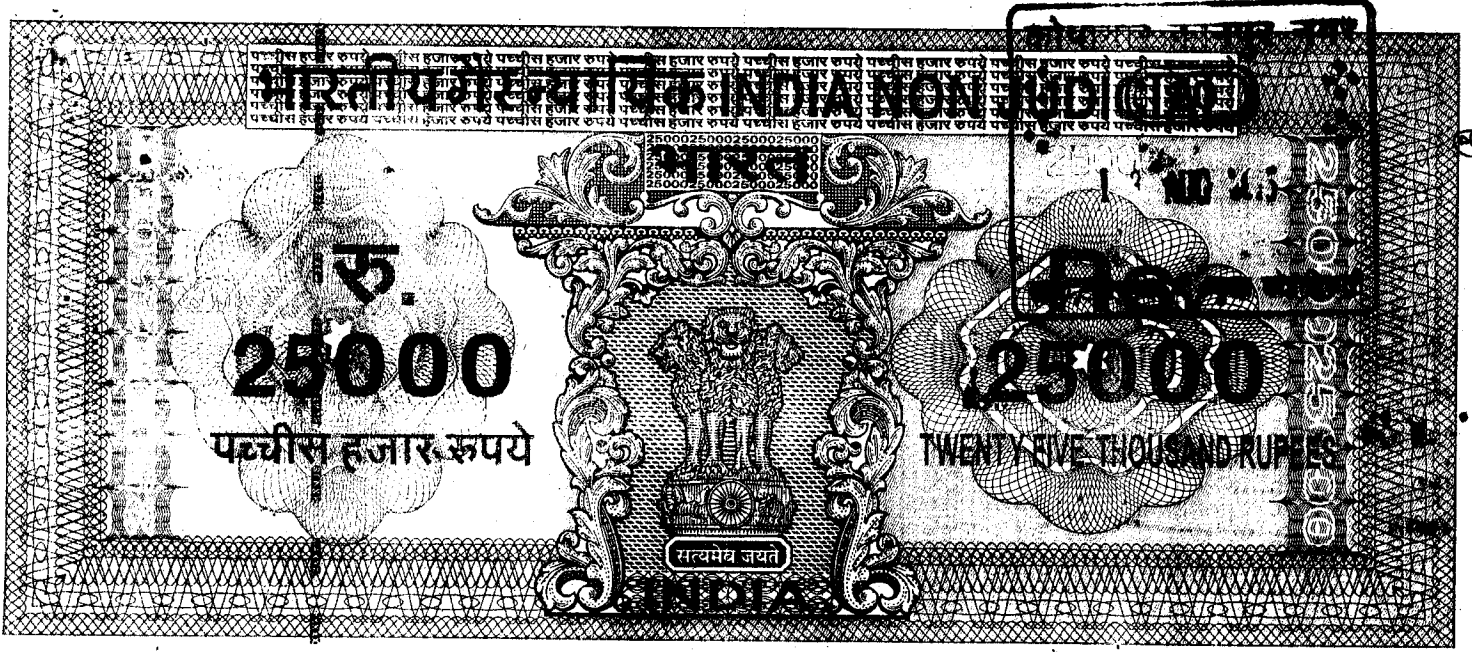
F 973891

E 973891

(5)

- 3 विक्रीत क्षेत्रफल : 0.8455 हेक्टेयर
- 4 जमीन का प्रकार : कृषि भूमि
- 5 वर्तमान में स्थिति : कृषि होती है।
- 6 भूमि श्रेणी : संक्रमणीय भूमिधरी
- 7 सीमा से सड़क की चौड़ाई : कोई रोड नहीं।
- 8 आराजी संख्या-790 की सीमाओं का विवरण

पूरब	: आराजी संख्या-834, 835, 836, 837 व 839
पश्चिम	: आराजी संख्या-792, 789, 780, 778
उत्तर	: आराजी संख्या-778, 777, 844
दक्षिण	: आराजी संख्या-791, 836, 837



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 973892

E 973892

(6)

आराजी संख्या-796 व 797 की सीमाओं का विवरण

पूरब	:	आराजी संख्या-798
पश्चिम	:	आराजी संख्या-794
उत्तर	:	आराजी संख्या-799
दक्षिण	:	आराजी संख्या-795

आराजी संख्या-826 की सीमाओं का विवरण

पूरब	:	आराजी संख्या-868
पश्चिम	:	आराजी संख्या-827, 831 व 860
उत्तर	:	आराजी संख्या-831, 868
दक्षिण	:	आराजी संख्या-825 व 824

9 क्रय का प्रयोजन

: कृषि कार्य हेतु।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BD 766124

BD 766124

(7)

10 स्टांप अदायगी का विवरण :

1 जिलाधिकारी दर कृषि भूमि : 40,00,000 /—रुपया प्रति हेक्टेयर

(तीन कोड-1281)

2 भूमि का मूल्य निर्धारित दर से : 33,82,000 /—रुपया

3 विक्रय मूल्य : 33,85,000 /—रुपया

4 जिलाधिकारी दर से देय स्टांप : 2,36,950 /—रुपया

5 कुल अदा किया गया स्टांप : 2,37,000 /—रुपया



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

7-6125 BD 766125

(8)

विशेष: वर्तमान में विक्रीत कृषि भूमि वास्तव में कृषि भूमि ही है, तथा किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग में नहीं लाई जा रही है अथवा इसका विक्रय टुकड़ों में आवासीय या अन्य भूखण्ड के रूप में नहीं किया जा रहा है, विक्रीत कृषि भूमि का अन्तरण कृषि प्रयोजनार्थ हो रहा है। विक्रीत कृषि भूमि पर कोई वृक्ष, कूप, नलकूप या निर्माण नहीं है। विक्रीत कृषि भूमि किसी राष्ट्रीय राजमार्ग/अन्तर्राज्यीय राजमार्ग/जनपदीय मार्ग के किनारे स्थित नहीं है। विक्रीत कृषि भूमि को संलग्नक मानचित्र में स्पष्ट रूप से



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FD 765711

BD 765711

(10)

विक्रय पत्र

यह विक्रय पत्र आज कानपुर नगर में :-

निशान्त अग्रवाल पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल निवासी
मकान नम्बर-128/165, एच-ब्लाक, किदवई नगर, कानपुर नगर,
जिन्हें इस विक्रय पत्र में शब्द "विक्रेता/प्रथमपक्ष" से सम्बोधित
किया गया है, जिसके अर्थ में उनके उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि
व स्थानापन्न आदि सम्मिलित होंगे।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

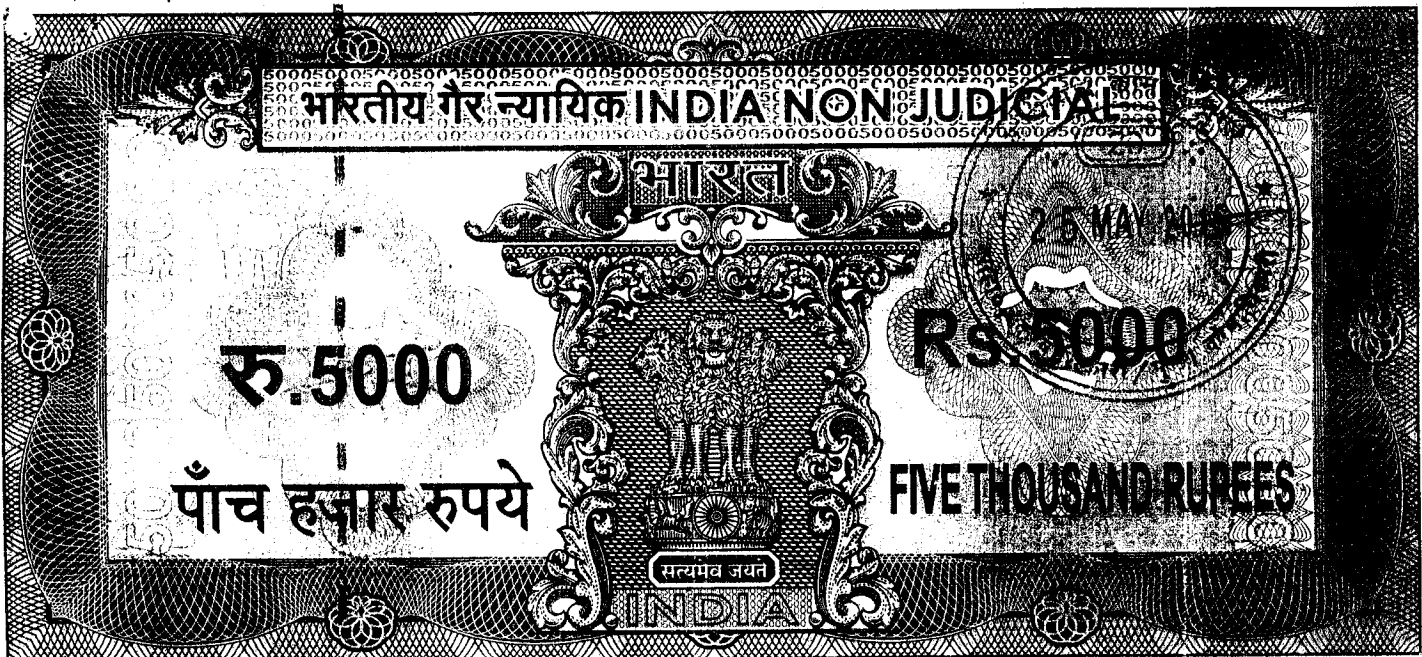
NO 765712

BD 765712

(11)

एवम्

साइन सिटी प्रापर्टीज प्रा०लि० स्थित-1/5 चतुर्थतल, आर स्क्वायर
काम्पलेक्स, विपुल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा निदेशक
असिफ नसीम पुत्र नसीम अहमद, जिन्हें इस विक्रय पत्र में शब्द
"क्रेता/द्वितीयपक्ष" से सम्बोधित किया गया है, जिसके अर्थ में
उनके उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि व स्थानापन्न आदि सम्मिलित
होंगे, के मध्य निष्पादित किया गया।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BD 765713

(12)

विदित हो कि विक्रेता/प्रथमपक्ष आराजी संख्या-790मि०
क्षेत्रफल 0.7380 हेक्टेयर, आराजी संख्या-796 क्षेत्रफल 0.1330
हेक्टेयर, आराजी संख्या-797 क्षेत्रफल 0.4100 हेक्टेयर, आराजी
संख्या-826मि० क्षेत्रफल 0.4100 हेक्टेयर, कुल 4 किता, कुल
क्षेत्रफल 1.6910 हेक्टेयर का 1/2 भाग क्षेत्रफल 0.8455 हेक्टेयर
स्थित राजस्व ग्राम पुरवामीर, परगना व तहसील व जिला कानपुर
नगर का तनहॉ मालिक, काबिज व दखील है। विक्रेता/प्रथमपक्ष ने



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BD 765741

BD 765741

(13)

उपरोक्त सम्पत्ति को जरिये पंजीकृत विक्रय-पत्र पूर्व मालिकान

श्रीमती संरखती देवी पत्नी श्री शिव चरन पुत्री स्व० भूदेव तिवारी

निवासिनी मकान नम्बर-105ए/22 गांधी ग्राम, कानपुर नगर व

श्रीमती रंजना तिवारी उर्फ रंजना पाठक पत्नी श्री गोपाल शंकर

पाठक पुत्री स्व० भूदेव तिवारी निवासिनी मकान नम्बर-127/111

डलू-1 साकेत नगर, कानपुर नगर से खरीद किया था, जिसकी

रजिस्ट्री दिनांक-26/11/2011 को बही संख्या-1, जिल्द



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BD 765742

(14)

संख्या-5651 के पृष्ठ संख्या-323 से 348 पर क्रमांक-4467 पर
सर्व रजिस्ट्रार कार्यालय जोन-1, कानपुर नगर में दर्ज है। उक्त
आराजी दाखिल खारिज भी विक्रेता/प्रथमपक्ष के हक में हो चुका है
और कागजात सरकारी, भूराजस्व अभिलेखों आदि में
विक्रेता/प्रथमपक्ष का नाम बतौर मालिक, संक्रमणीय भूमिधर के रूप
में अंकित चला आ रहा है। उक्त सम्पत्ति हर तरह से पाक व साफ
है, कहीं रहन, बय, हिबा या मुश्तगरक जमानत आदि में नहीं है।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BD 765743 BD 765743

(15)

उक्त सम्पत्ति के आधार पर किसी सरकारी, अर्धसरकारी, निजी या स्वायत्त संस्था से या निगम से कोई ऋण विक्रेता ने नहीं प्राप्त किया है तथा विक्रीत सम्पत्ति किसी धनराशि वसूली या टैक्सों के बकाया में कुर्क या बरसरे नीलाम नहीं है या किसी योजना में अर्जित नहीं है व उक्त सम्पत्ति से सम्बन्धित कोई वाद या कार्यवाही किसी न्यायालय, पंचायत या ट्रिब्युनल में या किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन नहीं है और विक्रेता को उक्त



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BD 765295

BD 765295

(16)

सम्पत्ति को विक्रय करने से किसी न्यायालय या अधिकारी द्वारा
रोका नहीं गया है तथा विक्रेता/प्रथमपक्ष उपरोक्त सम्पत्ति को
किसी अन्य व्यक्ति के हक में न ही विक्रय किया है और न ही
विक्रय का इकरार किया है। इस प्रकार उक्त सम्पत्ति पूर्णतया
भारमुक्त पाक, साफ स्थिति में है व उसके हस्तान्तरण के पूर्ण
अधिकार विक्रेता को प्राप्त हैं।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

ED 7/10/13

BD 765296

(17)

यह भी विदित हो कि क्रेता कम्पनी साइन सिटी प्रापर्टीज प्रा० लि०, जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत है तथा कम्पनी की ओर से निदेशकगण की बोर्ड मीटिंग में पारित प्रस्ताव के आधार पर निदेशक—आसिफ नसीम पुत्र नसीम अहमद को कम्पनी की ओर से समस्त कार्यवाहियाँ करने तथा भूमि



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

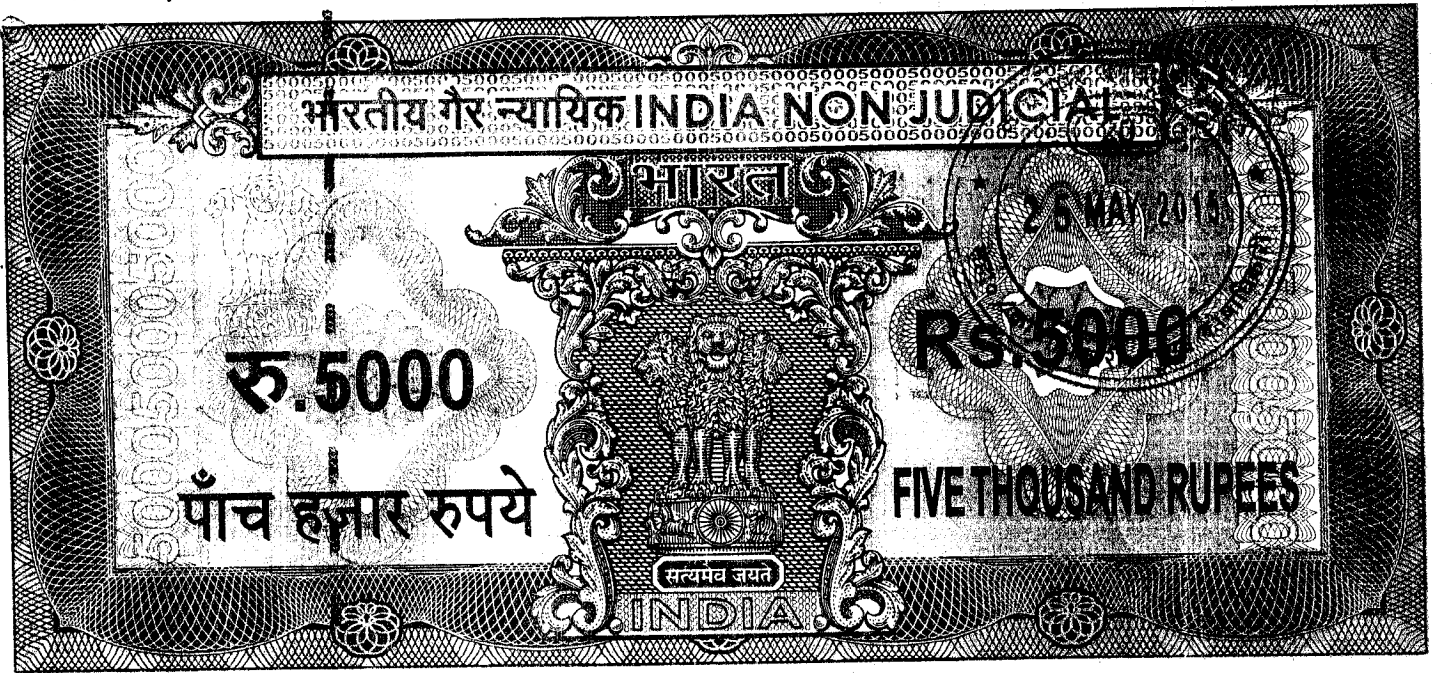
BD 765297

BD 765297

(18)

क्रय-विक्रय करने तदनुसार अनुबन्ध प्रलेख, विक्रय प्रलेख आदि
निष्पादित करने हेतु अधिकृत किया गया हैं।

यह भी विदित हो कि विक्रेता/प्रथमपक्ष को अपनी
आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धन की आवश्यकता है और उक्त
सम्पत्ति को विक्रय करने के अलावा रूपया प्राप्त करने का अन्य
कोई जरिया नहीं नजर आता है। अतः विक्रेता प्रथमपक्ष ने मुनासिब



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BD 765315

BD 765315

(19)

समझकर उक्त सम्पत्ति के विक्रय की बातचीत चलाई, जिस पर
साइन सिटी प्रापर्टीज प्रा० लि० स्थित-1/5 चतुर्थतल, आर स्क्वायर
कॉम्प्लेक्स, विपुल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा निदेशक
आसिफ नसीम पुत्र नसीम अहमद उक्त सम्पत्ति को बिल एवज
मुबलिग 33,85,000/-रूपया में खरीद करने को तैयार है और
इससे अधिक कीमत अन्य कोई व्यक्ति देने को तैयार नहीं है अतः
उक्त कीमत विक्रेता/प्रथमपक्ष को मंजूर भी है। अतः



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DD 75/01

BD 765316

(20)

क्रेता/प्रथमपक्ष ने खूब सोच समझकर उपरोक्त सम्पत्ति को बिल

एवज मुबलिग 33,85,000/-रुपया में क्रेता/द्वितीयपक्ष साइन सिटी

फ्लैपर्टीज प्रा0लि0 स्थित-1/5 चतुर्थतल, आर स्क्वायर काम्पलेक्स,

विपुल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा निदेशक आसिफ नसीम

पुत्र नसीम अहमद के हक में विक्रय कतई कर दिया यानी कि बेंच

डाला तथा कुल विक्रय कीमत उपरोक्त निम्न विवरणानुसार





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 239003

(21)

क्रेता/द्वितीयपक्ष से वसूल पा लिया है, अब विक्रेता को

क्रेता/द्वितीयपक्ष से कोई भी धन प्राप्त करना बाकी नहीं रहा है।

यह भी विदित हो कि विक्रेता ने आज की तिथि से ही

विक्रीत भूमि से अपना कब्जा व दखल हटाकर क्रेता को काबिज

कर दिया है, अब क्रेता/द्वितीयपक्ष को यह अधिकार होगा कि वह

जिस तरह चाहे, उक्त सम्पत्ति को अपने इस्तेमाल में लावे, इसके





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 239004

BL 239004

(22)

लिये वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा, चाहे वह कृषि कार्य करावे, स्वयं

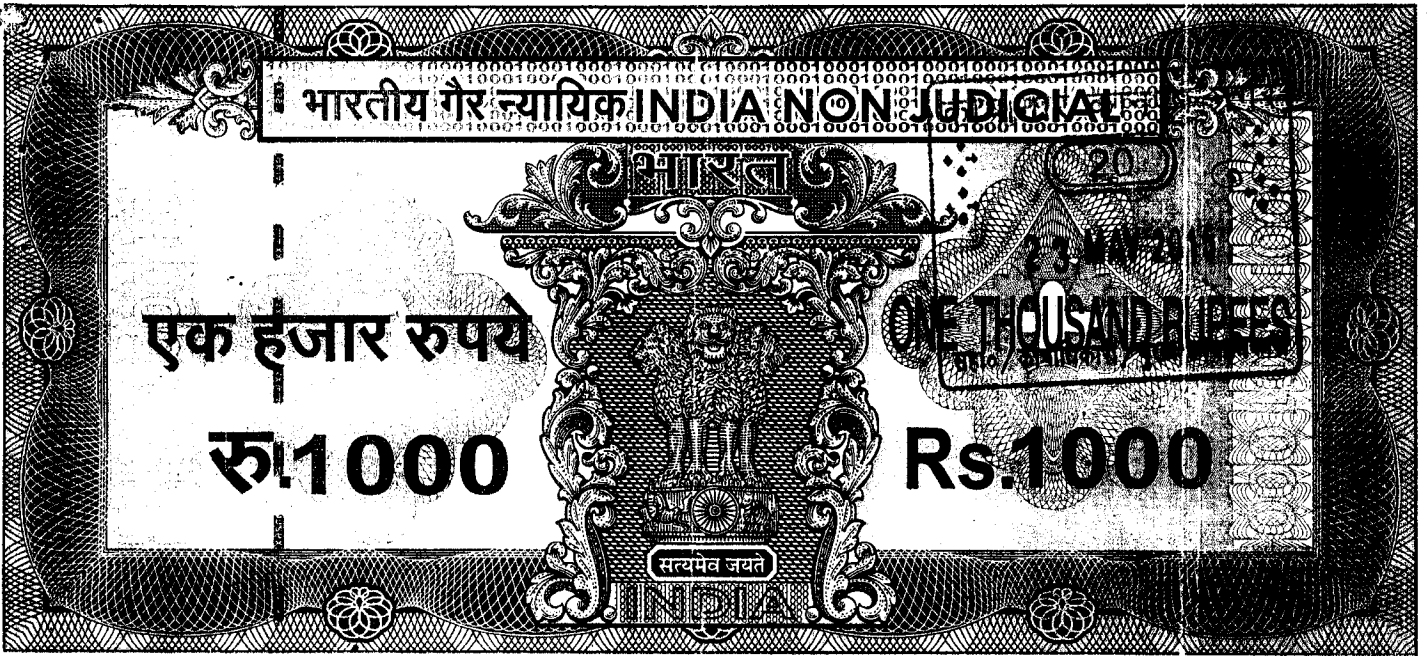
करे या किराये पर उठावे, बलकट उठावें, बन्धक या विक्रय करें।

विक्रेता/प्रथमपक्ष व वारिसान विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

यह भी विदित हो कि क्रेता/द्वितीयपक्ष को यह भी अधिकार

है कि वह क्रयशुदा सम्पत्ति से कागजात सरकारी, भू-राजस्व

अभिलेखों आदि में उक्त सम्पत्ति से विक्रेता/प्रथमपक्ष का नाम



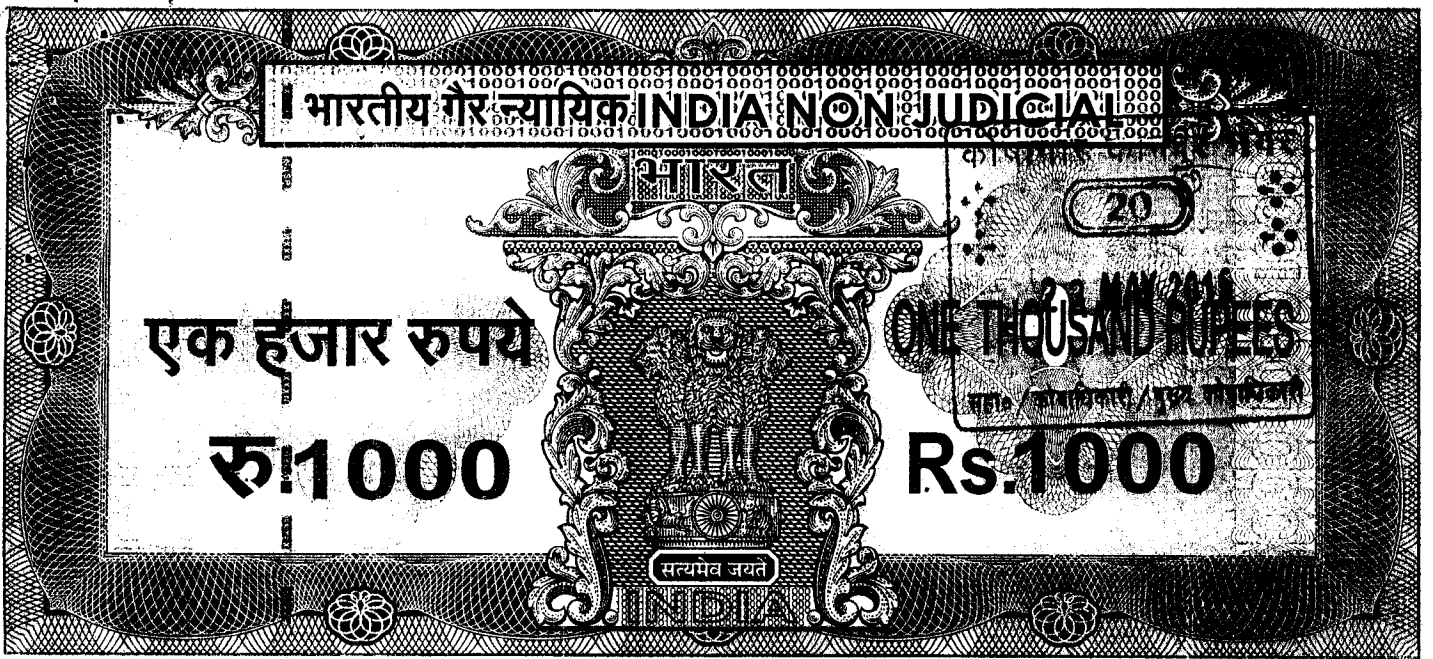
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AS 978203

(23)

खारिज कराकर अपना नाम बतौर मालिक बखाना मिलकियत में दर्ज करा लेवें तथा विक्रेता/प्रथमपक्ष की रजामन्दी दस्तावेज हाजा विक्रय पत्र द्वारा मानी जायेगी, फिर भी कहीं भी विक्रेता/प्रथमपक्ष की मदद या लिखित या मौखिक सहमति की आवश्यकता होगी, तो विक्रेता/प्रथमपक्ष अपने बयान मौखिक, लिखित व शपथपत्र के साथ देने को पाबन्द रहेगा।





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AS 978204

(24)

यह कि विक्रेता/प्रथमपक्ष द्वारा उक्त सम्पत्ति स्वयं को पूर्ण
स्वामी कहकर व हर प्रकार से भार मुक्त कहकर विक्रय की गयी,
यदि कोई बात इस लेखपत्र के विपरीत पायी जाये या उसके
स्वामित्व पत्र कहीं बन्धक पाये जाये या कोई अन्य व्यक्ति हकदार
या हिस्सेदार पाया जायें अथवा विक्रेता/प्रथमपक्ष के किसी कार्य या
अकार्य से विक्रीत सम्पत्ति का कुल या जुज भाग क्रेता/द्वितीयपक्ष



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AS 978205

(25)

के कब्जा दखल से निकल जाये, तो क्रेता/द्वितीयपक्ष को यह अधिकार होगा कि वह अपना कुल या जुज जरे समन विक्रेता/प्रथमपक्ष से बजरिये अदालत वसूल कर लेवें, जिसमें विक्रेता/प्रथमपक्ष को कोई भी आपत्ति नहीं होगी। विक्रेता ने उपरोक्त सम्पत्ति को अपने पूर्ण होशोंहवास में मय समस्त हक हकूक, दाखिला-खारिजा, हाल व आइन्दा, बिना छोड़े किसी अधिकार के क्रेता/द्वितीयपक्ष के हक में विक्रय कर दिया है, अब



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

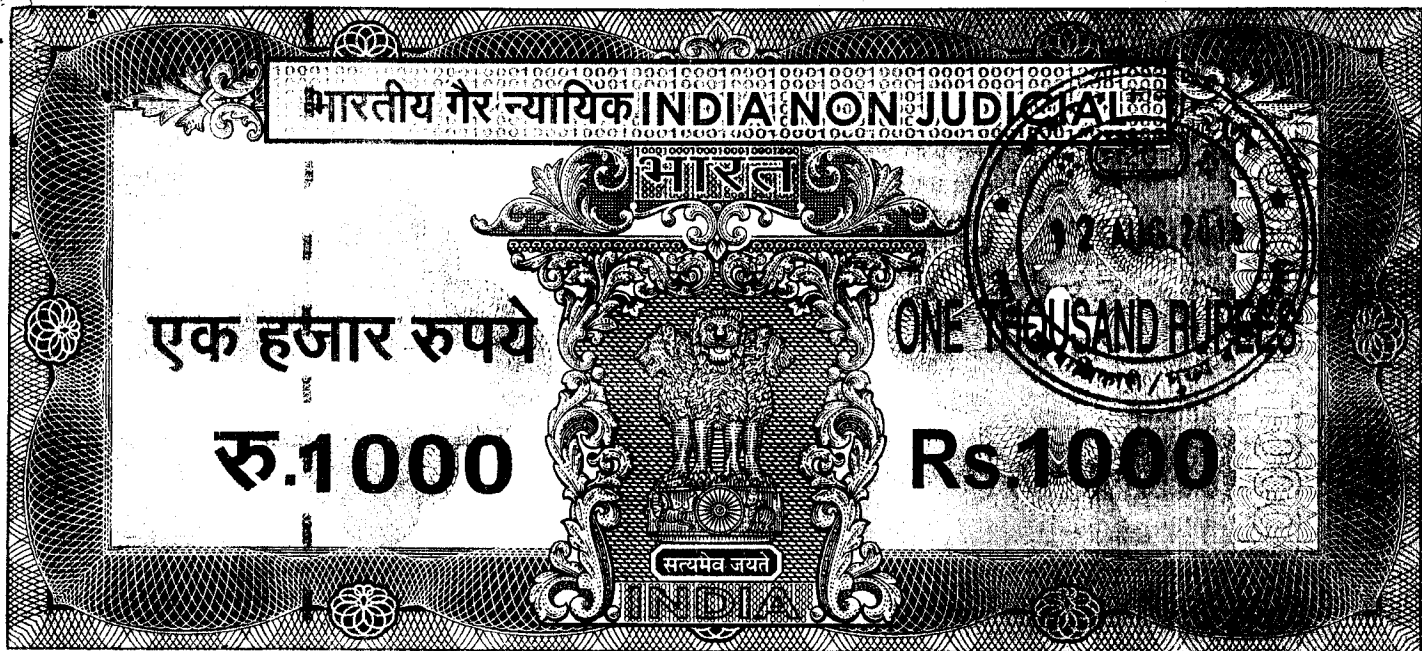
AR 881548

(26)

विक्रीत सम्पत्ति से विक्रेता/प्रथमपक्ष का कोई वास्ता व सरोकार नहीं रहा है। इस विक्रय पत्र की पाबन्दी विक्रेता व विक्रेता के वारिसान पर लाजिम व वाजिब होगी और पाबन्द रहेंगे।

लिहाजा यह विक्रय लेखपत्र अपने मन बुद्धि, शरीर व इन्द्रियों की स्वस्थ दशा में बिना किसी भय या दबाव के हर प्रकार से अपना अपना हित देखकर गवाहान के समक्ष पढ़ सुन व समझकर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षरित कर दिया कि प्रमाण स्वरूप समय पर काम आवे।





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 881549

(27)

तहसील जायदाद

आराजी संख्या-790मि0 क्षेत्रफल 0.7380 हेक्टेयर, आराजी
संख्या-796 क्षेत्रफल 0.1330 हेक्टेयर, आराजी संख्या-797 क्षेत्रफल
0.4100 हेक्टेयर, आराजी संख्या-826मि0 क्षेत्रफल 0.4100 हेक्टेयर,
कुल 4 किता, कुल क्षेत्रफल 1.6910 हेक्टेयर का 1/2 भाग क्षेत्रफल
0.8455 हेक्टेयर स्थित राजस्व ग्राम पुरवामीर, परगना व तहसील व
जिला कानपुर नगर।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 881550

(28)

तफसील वसूलयाबी जरे समन मु० 30,00,000/-रूपया
जरिये डी०डी० संख्या-208753 दिनांक-13/08/2015 आई०सी०
आई०सी०आई० बैंक, लाल बंगला, कानपुर नगर व मु०
3,85,000/-रूपया जरिये चेक संख्या-157851 दिनांक-18/08/2015
आई०सी०आई०सी०आई० बैंक, लाल बंगला, कानपुर नगर, इस प्रकार
कुल मु० 33,85,000/-रूपया विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त कर लिया है,
अब कोई धन प्राप्त करना बाकी नहीं रहा है।





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 881551

(29)

तहरीर दिनांक-19/08/2015

गवाह न

हस्ताक्षर विक्रेता/प्रथमपक्ष

1.

अनूप सिंह

पुत्र श्री लाल सिंह

नि०-रामपुर सरसौल

कानपुर नगर।

हस्ताक्षर क्रेता/द्वितीयपक्ष

2.

जयभान सिंह

पुत्र स्व० यदुनाथ सिंह

नि०-ग्राम व पोस्ट-महाराजपुर

कानपुर नगर।



ड्राफ्टेड बाई मी एण्ड
टाइप्ड बाई माई स्टेनो

R. K. Gupta
बृजेश कुमार गुप्ता
एडवोकेट

S- E PLAN OF ARAZI NO. 790 MIN, 796, 797, 826. AT

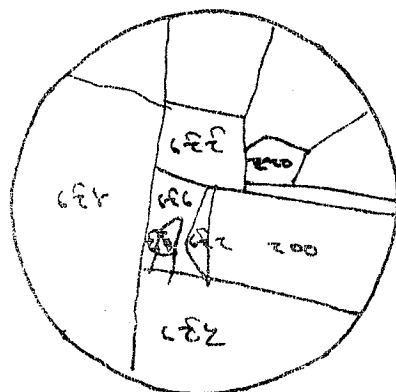
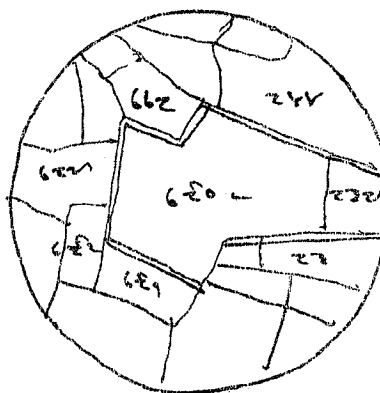
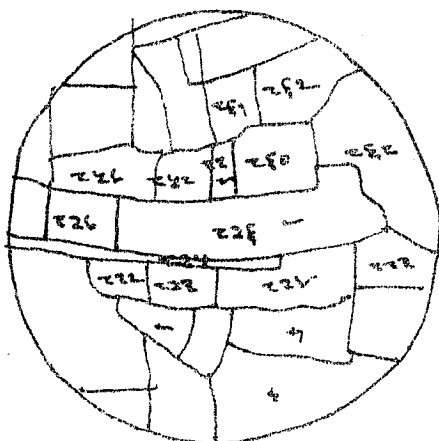
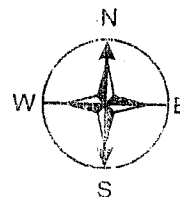
SITUATED AT MAUJA PURKAMBER. TEH. & DISTT. KANPUR

SELLER AS PER DEED

PURCHASER A.S. PER DEED

SOLD ARAZI AREA 0.8455 HECT.

ARAZI AREA SHOWN ☐ USE-ARGI



SIGNATURE OF SELLER

SIGNATURE OF PURCHASER

SIGNATURE OF ENGINEER

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
C. RANGSHI, I. E. M. A. N.
I. Civil Engineer Survey & Insp. By K. D. A.
Resd. 14/71, P. P. H., Kanpur
Mobile No. 991 8801 785

आज दिनांक 19/08/2015 को

बही सं. 1 जिल्द सं. 7384

पृष्ठ सं. 223 से 282 पर क्रमांक 4327

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

श्रीमती कमलेश पाठक

उप निबन्धक (प्रथम)

कानपुर नगर

19/8/2015